न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री बृजमोहन बैरवा आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 62/2021/अपील/एलआरएक्ट/कोट।

दायरा दिनांकः 25.11.2021

अन्तर्गत धाराः 75 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

किशोरी बेवा किशना जाति गूर्जर निवासी ग्राम धर्मपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा–राज0 (मृतक) जरिये कायम मुकामाना–

1. सज्जन बाई पुत्री किशना गुर्जर पत्नी छीतरलाल निवासी गुर्जरो की बस्ती भीलोत गोपालपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा–राज0।
2. रामचन्द्री बाई पुत्री किशना गुर्जर पत्नी आनन्दीलाल निवासी ग्राम रानक्याखेडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

...अपीलांट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा–राज0।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री संजय शर्मा अभिभाषक–अपीलांट
पैरोकार सरकार – रेस्पो0 कम

::निर्णय::

दिनांक 27.6.2024

अपीलार्थी ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 45/2012 (प्रार्थना पत्र) अन्तर्गत राज0 भू राजसव कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 अन्तर्गत नियम 14(4) उनवान राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा बनाम किशोरी (मृतक) जरिये कायम मुकामान–पुष्पाबाई मे पारित निर्णय दिनांक 7.10.2016 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 अपील के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है, कि राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14 (4) के अन्तर्गत तहसीलदार लाडपुरा द्वारा किशोरी बेवा किशना जाति गूजर निवासी धर्मपुरा तह0 लाडपुरा को ग्राम धर्मपुरा को ख0 नं0 52 रकबा 1.42 है0 आवंटित भूमि पर कब्जा प्राप्त करने के उपरांत प्रथम वर्ष मे 50 प्रतिशत तथा द्वितीय वर्ष मे शेष 50 प्रतिशत भूमि पर काश्त कर निर्बाध रूप से सम्पूर्ण भूमि पर नियमित कब्जा काश्त नही कर भूमि सं0 2053, 2054, 2055 मे पडत रहने से आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नही करने से आवंटन निरस्त किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 7.10..2016 स्वीकार कर उक्त भूमि का आवंटन आदेश दिनांक 19.9.1987 निरस्त किया गया। अधीनसथ न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा मे प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत इस आशय की पेश की गई कि अधीनसथ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही आवंटी किशेरी की मृत्यु हो चुकी थी। प्रार्थना पत्र मृत व्यक्ति के विरूद्ध प्रस्तुत किये जाने से पोषणीय नही था। प्रकरण मे किशोरी बाई के कायम

मुकामान बनाने का प्रा0 पत्र पेश किया गया जिसमे किसी तथाकथित पुष्पाबाई को किशोरीबाई की एक मात्र पुत्री बताया किया जबकि किशोरी बाई के पुष्पाबाई नाम की कोई पुत्री नही है। इस प्रकार तथाकथित व्यक्ति को कायम मुकाम बनाकर निर्णय पारित करवाया गया जो त्रुटिपूर्ण व अवैधानिक है। मृतक किशोरी की दो पुत्रिया है जिनको न तो पक्षकार बनाया गया और न ही उन्हे रेकार्ड पर लिया गया। आलौच्य निर्णय मृतक व्यक्ति के विरूद्ध पारित किया गया जो प्रारम्भ से ही प्रभाव शून्य एंव प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। अपीलाधीन निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी 24.6.21 को पटवारी हल्का द्वारा बताने पर होने पर नकल प्राप्त कर अपील पेश की गई। अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय दिनांक 7.10.2016 अपास्त किया जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एंव रेस्पो0 पैरोकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मे वर्णित उपर्युक्त तथ्यों को ही दोहराते हुये अपील स्वीकार कर अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटा का आदेश दिनांक 7.10.2016 खारिज किये जाने का अनुरोध करते हुये प्रकरण मे डीएनजे 2021 (1) (रेवे.) पेज 72, 140आरआरडी 1992 पेज 17, आरआरटी2022–23(एससी)पेज 225, एआईआर 2005 एस.सी. पेज 3799 का न्यायिक उद्धरण पेश किये।

4 रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटा का आलौच्य जेरअपील निर्णय दिनांक 7.10..2016 न्यायोचित होना जाहिर करते हुये अपील खारिज करने करने का अनुरोध किया।

5 अपीलार्थी द्वारा अपील मियाद बाहर पेश की है। डिले कन्डोन हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एंव स्वयं का शपथ पत्र पेश किया गया। रेस्पो0 की ओर से प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एंव शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यो का खण्डन नही किया तथा ना ही खण्डन मे कोई प्रतिउत्तर ही पेश किया गया। ऐसी स्थिति मे अपीलाट द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है लिहाजा अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से न्यायहित मे क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

6 पत्रावली का गुणावगुण पर विचार कर आध्योपांत अवलोकन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एंव आलौच्य जेरअपील निर्णय दिनांक 7.10.2016 के अवलोकन से प्रकट होता है कि किशोरी बेवा किशना जाति गूजर निवासी धर्मपुरा तह0 लाडपुरा को ग्राम धर्मपुरा के ख0 नं0 52 रकबा 1.42 है0 भूमि आवंटित की गई थी। आवंटित भूमि पर आवंटी द्वारा कब्जा प्राप्त करने के उपरांत प्रथम वर्ष मे 50 प्रतिशत तथा द्वितीय वर्ष मे शेष 50 प्रतिशत भूमि पर काश्त कर निर्बाध रूप से सम्पूर्ण भूमि पर नियमित कब्जा काश्त नही कर भूमि सं0 2053, 2054, 2055 मे पडत रहने से तहसीलदार लाडपुरा द्वारा राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नही करने से आवंटन निरस्त किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किये जाने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण मे तथ्यों का समुचित परीक्षण कर जेरअपील निर्णय दिनांक 7.10..2016 पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय का आलौच्य जेरअपील निर्णय 7.10.2016 न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुजाइंश नही है। लिहाजा हमारे विनम्र मत मे विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील प्रकरण मे प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण डीएनजे 2021 (1) (रेवे.) पेज 72, 140 आरआरडी 1992 पेज 17, आरआरटी 2022–23 (एससी) पेज 225, एआईआर 2005 एस.सी. पेज 3799 चस्पा नही होते है। परिणामस्वरूप अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

7 निर्णय आज दिनांक 27.6.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा